

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2021 के दिनांक 01 जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा : अनिल कुमार पांगती, 22 साल (22 साल लो.नि.वि + 5 साल एन.ई. रेलवे)
3. वर्तमान धारित पद : अधीक्षण अभियंता

2. सर्वग : क

4. वर्तमान वेतनमान : 123100-215900 (LEVEL 13)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम ना हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम एवं सरकारी सेवक से सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बैंक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु. में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु. में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु. में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नैनीताल, नैनीताल, नौल	0.090	अनिल कुमार पांगती	क्रय	2007	₹ 4,50,000.00	₹ 6,50,000.00	-	
नैनीताल, हल्द्वानी, बिदुरिया	0.099	जगत सिंह पांगती, पिता	दाननामा	2018	₹ 25,60,000.00	₹ 25,60,000.00	-	पिता द्वारा हस्तान्तरित
पिथौरागढ़, मुनस्वारी, मिलम, भाघनी, मुनस्वारी	1.800	जगत सिंह पांगती, पिता एवं अन्य का हिस्सा	उत्तराधिकार	-	-	-	-	पैत्रिक
नैनीताल, हल्द्वानी, जोहार नगर	0.103 भूमि एवं 0.057 भवन	जगत सिंह पांगती, पिता	क्रय एवं निर्माण	1982	-	-	-	पैत्रिक
भवाली, नैनीताल	प्लेट	अनिल कुमार पांगती एवं अन्जू पांगती	क्रय	2015	₹ 2,20,000.00	₹ 35,00,000.00	-	लोन एवं जीपीएफ द्वारा
मोहकमपुर, देहरादून	प्लेट	अनिल कुमार पांगती	क्रय	2021 में हस्तगत	₹ 34,00,000.00	₹ 35,00,000.00	-	पत्नी एवं स्वयं के जीपीएफ द्वारा

स्थान : देहरादून

दिनांक : 28.03.2021

हस्ताक्षर :

अधिकारी का नाम : अनिल कुमार पांगती

पद का नाम : वास्टाफ़ औफिसर (नि)

विभाग : का0 प्रमुख अभियंता, ला0नि0वि0 देहरादून

श्री रावत
-04
15/6/2022

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2021 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा वर्तमान धारित पद

नारायण सिंह खोलिया
अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)


2. संदर्भ

क

4. वर्तमान वेतनमान 123100-215900 (LEVEL 3)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिन्होंने अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. जेनीताल हल्द्वानी गन्नाथपुरी कुसुमखंड	भूमि (0.063 हेक्टे)	स्वयं	क्रय	31/10/2005	4,43,000/-	—	शून्य	—
2. देहरादून, माजरा ब्लेमेन्ट टाउन, टर्नर रोड	भूमि (0.0377 हेक्टे)	स्वयं	क्रय	31/08/2006	4,53,108/-	—	शून्य	—
3. देहरादून, माजरा ब्लेमेन्ट टाउन, टर्नर रोड	भवन (214.2 वर्ग फीट)	स्वयं	स्वयं	जनवरी 2011	25,00,000/- (पच्चीस लाख)	—	शून्य	—

स्थान- देहरादून
दिनांक- 23-08-2022

हस्ताक्षर 
अधिकारी का नाम नारायण सिंह खोलिया
पदनाम अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)
विभाग लोक निर्माण विभाग

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 8 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2021 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा नारायण सिंह खोलिया
2. संवर्ग क
3. वर्तमान धारित पद ज्येष्ठ प्रमुख अभियन्ता (सिविल)
4. वर्तमान वेतनमान 123100-215900 (LEVEL 13)

1. तहसील और वि या शहर समेत सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बैंक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	9. अभ्युक्ति
ताना हल्द्वानी थरपुरी तालाब	भूमि (0.063 हेक्टे)	स्वयं	क्रय	31/10/2005	4,43,000/-	—	शून्य	—
गुन माजरा र टाउन, र रोड	भूमि (0.0377 हेक्टे)	स्वयं	क्रय	31/08/2006	4,53,100/-	—	शून्य	—
परदून माजरा गैन्स टाउन, र रोड	भवन (2141 वर्ग की२)	स्वयं	स्वयं	जनवरी 2011	25,00,00,000/- (पंचनीय लागत)	—	शून्य	—

स्थान- देहरादून
दिनांक- 23-08-2022

हस्ताक्षर N/Si 23/08/22
अधिकारी का नाम नारायण सिंह खोलिया
पदनाम ज्येष्ठ प्रमुख अभियन्ता (सिविल)
विभाग लोक निर्माण विभाग

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूल्य कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूल्य कय को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2021 के लिए दिनांक 01.01.2022 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का नाम एवं सेवा :
3. वर्तमान धारित पद :

सुनील कुमार
अधिसासी अभियन्ता

2. संदर्भ : समूह 'क'
4. वर्तमान वेतनमान : 112100

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसके सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधन/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिससे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. जिला - मैनीताल तहसील - हल्द्वानी उत्तराखण्ड।	4080 वर्ग फिट आवासीय-भूमि	स्वयं/पत्नी	क्रय की गई	8/2011	4.00 लाख	10.00 लाख	0.00 लाख	
2. जिला - देहरादून तहसील - देहरादून उत्तराखण्ड	450 गज आवासीय-भूमि	स्वयं	क्रय की गई	1/2014	28.50 लाख	60.00 लाख	0.00 लाख	14 लाख ₹0 क्रय हेतु एचडी02790सी0 बैंक से ऋण लिया गया।
3. जिला - देहरादून तहसील - देहरादून उत्तराखण्ड	1439 वर्ग फिट आवासीय प्लॉट	स्वयं/पत्नी	क्रय की गई	8/2015	42.00 लाख	60.00 लाख	-	30 लाख ₹0 क्रय हेतु आई0बी0सी0आई0 बैंक से ऋण लिया गया।

स्थान : लोहाघाट
दिनांक : 31.01.2022

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम : सुनील कुमार
पद नाम : अधिसासी अभियन्ता
विभाग : राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोहाघाट लोहाघाट।

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन निर्माण को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

राज्यधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र
(वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति अनुसार)
अंक 2

1. अधिकारी का नाम एवं सेवा :- श्री ललित कुमार गोयल

2. संवर्ग :- तकनीकी

4. वर्तमान धारित पद :- अधिशासी अभियन्ता

4. वर्तमान वेतनमान :-

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी संयक्त का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
रुखकी	आवास	श्रीमती संख्या गोयल (पत्नी)	भूमि क्रय कर भवन निर्माण।	8/2007 से 2009 तक	8.00 लाख (भिर्माण के सम्य)	ज्ञात नहीं	कुछ नहीं	परिवार के रहने के उपयोग हेतु
विकासनगर	भूमि	श्री ललित कुमार गोयल	क्रय	4/2013	2.50 लाख	ज्ञात नहीं	कुछ नहीं	-

स्थान- रानीखेत

दिनांक- 31-01-2022

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम- ललित कुमार गोयल

पद नाम- अधिशासी अभियन्ता

निर्माण- प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०विभाग, रानीखेत (अल्मोडा)


राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अवल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

वर्ष 2021 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा अलीम अख्तर राजकीय सेवा 2. संवर्ग अभिभ्रंती
 3. वर्तमान धारित पद अभियन्ता अभियन्ता 4. वर्तमान वेतनमान LEVEL-13 (1,23,100 - 2,15,900)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अव्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. श्रीनगर-गढ़वाल	आवास (100 वर्ग मीटर)	श्रीमती सुमती बेगम (माता जी)	उत्तराधिकार (पैतृक)	-	-	-	-	पैतृक भवन संबंध के परिवार के रहने में उपयोग
2. देहरादून-बेदापुरा	50 वर्ग मीटर भूमि पर भवन निर्माणाधीन	पिता जी श्री. भूकला (१०३) के नाम से परिवारित है। नाम परिवर्तन नाम पर	उत्तराधिकार (पैतृक)	-	-	-	-	दिल्ली लॉथ पीओजेना के पुत्री दिल्ली से विस्थापन के एवज में T.M.D.C से प्राप्त संबंध के उपभोग में
3. श्रीनगर-गढ़वाल	भवन (100 वर्ग मीटर)	बंध एवं पत्निके नाम से संयुक्त	क्रय	11/2013	20,00,000	22,00,000	-	परिवार के उपभोग में

स्थान- देहरादून
 दिनांक- 01.04.2022

हस्ताक्षर 
 अधिकारी का नाम अलीम अख्तर
 पदनाम अभियन्ता अभियन्ता
 विभाग राजकीय विभाग

टिप्पणी

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेम्बर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अवल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/निर्वाक प्राधिकारी का अवसर प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 06 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 06 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिग्रहण/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिग्रहण/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिग्रहण/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय पर्यट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 8 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2022 की स्थिति अनुसार)

- (1). अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा : श्री रजनीश कुमार (01.08.2005 to till date)
(3). वर्तमान धारित पद : प्रमारी अधिशासी अभियन्ता

- (2). संवर्ग : ख
(4). वर्तमान वेतनमान : 56100-177500 लेवल-10

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम स्थापित हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का संबंध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹0 में)	अन्यवृत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरिद्वार, भगवानपुर मानक मजरा	कृषि भूमि 0.1804 हे०	श्री रजनीश कुमार (स्वयं)	क़य- श्री मुकरम पुत्र श्री युसुफ निवासी मानक मजरा तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार।	15.01.2021	325000.00	325000.00	10000.00	कृषि कार्य हेतु क़य की गई (स्वयं)
हरिद्वार, भगवानपुर मानक मजरा	कृषि भूमि 0.1804 हे०	श्री रजनीश कुमार (स्वयं)	क़य- श्री अकरम पुत्र युसुफ निवासी मानकमजरा तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार।	07.07.2021	325000.00	325000.00	5000.00	कृषि कार्य हेतु क़य की गई (स्वयं)

स्थान : धत्यूड़।
दिनांक : 31.01.2022

हस्ताक्षर :
अधिकारी का नाम : (श्री रजनीश कुमार)
पदनाम : अधिशासी अभियन्ता
विभाग : लोक निर्माण विभाग, अस्थाई खण्ड धत्यूड़।

टिप्पणी :

- (1). श्रेणी क एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर की समाप्ति होने वाले कलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक संबंधित नियुक्ति/निवृत्तक प्राधिकारी को अपरयुक्त प्रस्तुत की जाये, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाये।
(2). प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाये और यदि कोई अधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाये।
(3). यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में क़य की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क़य मूल्य अंकित किया जाये और यदि भूखण्ड क़य कर उ० पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुये तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाये।
(4). अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस अभिन्न परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाये।


राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2022 की स्थिति अनुसार)

(1) अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा : श्री रजनीश कुमार (01.08.2005 to till date)
(3) वर्तमान धारित पद : प्रभारी अधिशासी अभियन्ता

(2) संवर्ग : ख
(4) वर्तमान वेतनमान : 56100-177500 लेवल-10

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम स्थापित हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का संबंध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरिद्वार, भगवानपुर मानक मजरा	कृषि भूमि 0.1804 हे०	श्री रजनीश कुमार (स्वयं)	क्रय- श्री मुकरम पुत्र श्री युसुफ निवासी मानक मजरा तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार।	15.01.2021	325000.00	325000.00	10000.00	कृषि कार्य हेतु क्रय की गई (स्वयं)
हरिद्वार, भगवानपुर मानक मजरा	कृषि भूमि 0.1804 हे०	श्री रजनीश कुमार (स्वयं)	क्रय- श्री अकरम पुत्र युसुफ निवासी मानकमजरा तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार।	07.07.2021	325000.00	325000.00	5000.00	कृषि कार्य हेतु क्रय की गई (स्वयं)

स्थान : धत्वूड।
दिनांक : 31.01.2022

हस्ताक्षर : 
अधिकारी का नाम : (श्री रजनीश कुमार)
पदनाम : अधिशासी अभियन्ता
विभाग : लोक निर्माण विभाग, अस्थाई सड़क धत्वूड।

टिप्पणी :

- श्रेणी क एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर की समाप्ति होने वाले फलैण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक संबंधित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्यक प्रस्तुत की जाये, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाये।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाये और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाये।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाये और यदि मूखण्ड क्रय कर तः पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुये तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाये।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाये।

1- अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- सुनील कुमार

3- वर्तमान धारित पद- उपाधि, शाली अभियन्ता

4- वर्तमान वेतनमान- L11 (67,700-2,08,700)

जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/ लीज/ बंधक/ उत्तराधिकारी/ उपहार/ अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का नाम	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/ वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	कार्मान अनुमानित मूल्य लागत (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"शून्य"								

स्थान- मन्सूर (चमोली)
दिनांक- 10/01/2022

हस्ताक्षर- [हस्ताक्षर]
अधिकारी का नाम- सुनील कुमार
पद नाम- उपाधि शाली अभियन्ता
विभाग- वि० लो० वि० वि० (चमोली)

टिप्पणी-

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/ नियंत्रक प्राधिकारियों को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणीयों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के
- प्रत्येक वर्ष/ प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व में घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/ कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/ कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/ कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/ अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

क


राज्यधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2021 के दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)
(सेवा-17 वर्ष 10 माह)

1-अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा-वीरेन्द्र प्रताप सिंह
3-सर्वमान्य धारित पद- अधिराशी अभियन्ता

2-संवर्ग- तकनीकी
4-उर्जिनान वेतनमान-87700-208700 (लेवल-11)

जिला तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य मकान) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम एवं सरकारी शेडक से सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून, देहरादून, बदीपुर।	भूमि 250.00 वर्ग मी०	स्वयं	कय 1- श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री रतन सिंह, माजरी पो०ओ०-मोहकपुर आई०आई०पी०, देहरादून। 2-श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री एल०एस० चवत, ग्राम-दिलौल, गाँव पट्टी मणियार, पो०ओ०-भम्बा, टिहरी मण्डल।	06.03.2009	6.00 लाख	रु० 22.50 लाख	-	भारतीय स्टेट बैंक से 5.00 लाख का ऋण एवं वेतन बचत वाहरण द्वारा अर्जित।
देहरादून, देहरादून, अजबपुर कला।	भूमि 480.00 वर्ग मी०, भवन मूल्य- 257.53 वर्ग मी०, प्रथम तल- 197.83 वर्ग मी०	पत्नी (श्रीमती अन्वु सिंह)	2-श्री राजकुमार पुत्र श्री रघुवीर सिंह, नारायण रोड, जिला देहरादून	02.07.2010 एवं 11.10.2010	भूमि-18.50 लाख भवन-26.64 लाख	भूमि- रु० 51.45 लाख भवन- रु० 63.00 लाख	2.90 लाख	एच०डी०एफ०सी० बैंक से 19.75 लाख का ऋण, स्वयं के वेतन बचत एवं पत्नी के बचत खाता अहरण द्वारा अर्जित

स्थान-दुगडका, पीडी मण्डल
दिनांक- 17-02-2022



हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम-वीरेन्द्र प्रताप सिंह
पद का नाम-अधिराशी अभियन्ता,
विभाग-नि०ख०, लो०नि०वि०, दुगडका,
पीडी मण्डल

- टिप्पणी-1-श्रेणी क एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कैलेंडर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति / नियन्त्रक प्राधिकारी को आवश्यक प्रस्तुत की जाए, अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाए।
2-प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य / कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/ कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वार्षिक उपलब्ध सम्पत्ति अर्जित की जाए, और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाए।
3-यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य मकान के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 8 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाए और यदि भूखण्ड कय कर उस पर मकान का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में मकान एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ-8 में भूमि का मूल्य तथा मकान निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाए।
4-अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी शेडक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाए।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 192/XXX(2)/2012-25(27)/2992 दिनांक 23.03.2012 द्वारा जारी प्रपत्र राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का

विवरण पत्र
 (वर्ष 2021 के लिए दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति अनुसार) (OL-OL-21 का 31-3-2022)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा - उमेश चन्द्र बहुगुणा, अधिरासी अभियन्ता
 3. वर्तमान धारित पद - अधिरासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी

2. संवर्ग - श्रेणी 'क'
 4. वर्तमान वेतनमान 123100-215900 लेवल-13

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम सम्पत्ति हो उसका नाम एवं सरकारी सेवक से सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय खरीद/बंधक/ उत्तराधिकारी उपहार/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नेनीताल हल्द्वानी, बमौरी तल्ली	भूमि 392.65 वर्ग मीटर	स्वयं	क्रय श्री तारा सिंह सिजवाली पुत्र श्री तुला राम सिंह सिजवाली, तल्ली बमौरी, हल्द्वानी	2001	2,32,000.00	78,53,000.00	-	जी०पी०एफ० एडवॉन्स एवं वेतन बचत आहरण द्वारा अर्जित
नेनीताल हल्द्वानी, बमौरी तल्ली	भूमि 217.47 वर्ग मीटर	स्वयं	क्रय श्री गौरव प्रताप सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, तल्ली बमौरी, हल्द्वानी	2005	1,75,000.00	43,49,000.00	-	जी०पी०एफ० एडवॉन्स एवं वेतन बचत आहरण द्वारा अर्जित

स्थान - हल्द्वानी
 दिनांक 28/04/2022

हस्ताक्षर
 अधिकारी का नाम :- उमेश चन्द्र बहुगुणा
 पद नाम :- अधिरासी अभियन्ता

विभाग का नाम लोक निर्माण विभाग-हल्द्वानी

टिप्पणी:-

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियन्त्रक प्राधिकारी को आवश्यक प्रस्तुत की जाए, अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाए।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिभू/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिभू/कमी के उपरान्त 31 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिभू/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 06 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 02 में भवन एवं भवन एवं मूखण्ड के पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 08 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाए।

अ

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा हरीश कुमार
वर्तमान धारित पद अधिरात्री अधिवक्ता

2. संवर्ग गि.मि.वि.
4. वर्तमान वेतनमान 52700-20 (Level II)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिन्होंने अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु. में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु. में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु. में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. मेरठ, कीर्तीवा	0.60 HAc कू. भू.	हरीश कुमार	उत्तराधिकार पिताजी श्वेता शर्मा शर्मा	2008	—	3000000.00	—	
2. देहरादून, काला	0.02 HAc कू. भू.	— " —	— कथ —	2012	3000000.00	2000000.00	—	
3. देहरादून, काला	0.03 HAc कू. भू.	श्वेता शर्मा (पति)	— कथ —	2014	9000000.00	3000000.00	—	
4. देहरादून, काला पुर काला	1350 SFT प्लॉट आवासीय	हरीश कुमार	— " —	2010	2250000.00	7000000.00	—	
5. देहरादून, काला पुर काला	1350 SFT प्लॉट आवासीय	श्वेता शर्मा (पति)	— " —	2016	4050000.00	7000000.00	—	

स्थान- देहरादून
दिनांक- 06-4-22

हस्ताक्षर Humar
अधिकारी का नाम हरीश कुमार
पदनाम अधिरात्री अधिवक्ता
विभाग ब्लॉक मिशन विभाग
यू.डी.आर.पी.ए. शर्मा, देहरादून

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेन्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आविष्क/कमी हुई हो तो तदनुसार आविष्क/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आविष्क/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कथ की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कथ मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कथ कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा वर्ष 2021 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा वर्तमान धारित पद

विशाल शर्मा (राज्य सरकार के अन्तर्गत)
सहायक अभियंता (वि.०)

2. संदर्भ तबदीकी (समूह 'ख')
4. वर्तमान वेतनमान 67700 - 208100

1. जिला और मंडल या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (ऋण/लीज/बैंक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	9. अभ्युक्ति
- NIL -								

स्थान: देहरादून
दिनांक: 10/2/22

17 MAY 2022

SA 09/17/22

हस्ताक्षर: 10/2/22
अधिकारी का नाम: विशाल शर्मा
पदनाम: सहायक अभियंता
विभाग: लो. वि. वि. ०

- टिप्पणी:
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अपन सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
 - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
 - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवश्यक फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कल की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
 - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर अर्जित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।


राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 तक की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- धन सिंह कुटियाल
3. वर्तमान धारित पद - अधिशासी अभियन्ता

2. संवर्ग - इंजीनियरिंग
4. वर्तमान वेतनमान - 67700-208700 सेविल-11

जिला, तहसील और गांव का सहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास नूनि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का भाग (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का नावदन (कय/प्रीज/भयक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (लाख में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (लाख में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अम्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-नैनीताल, नैनीताल नौकुधियाताल	भूमि 5 नाली 3 मुदठी	स्वयं की	कय कर	26 अप्रैल 2005	₹ 4.94 लाख	₹ 20.80 लाख	-	-
2-नैनीताल, भवांली	टाईप-2 आवास (फ्लैट) 1100 स्क्वायर फीट	श्रीमती जानकी कुटियाल पत्नी	कय कर	15 मई 2014	₹ 15.50 लाख	₹ 27.00 लाख	-	-

स्थान : पौड़ी
दिनांक : 06/04/22

हस्ताक्षर : 
अधिकारी का नाम : धन सिंह कुटियाल
पद का नाम : अधिशासी अभियन्ता
विभाग : लोक निर्माण विभाग।

52

टिप्पणी :-
1.
2.
3.

श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को उपरोक्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियुक्त प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाए किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिभू/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिभू/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिभू/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय पर्यट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो सतम् 6 में कय कर मूल्य अंकित किया जाय, और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो सतम् 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करवां हुए तदनुसार सतम् 6 में भूमि तथा भवन निर्माण को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2021 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

- 1- अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा संजीव राठी (राज्य अभिकरण सेन) 2- संवर्ग सहायक सचिव (लौ.नि.वि.)
- 3- वर्तमान धारित पद अभिशासी अभियन्ता 4- वर्तमान वेतनमान ग्रेड बैंड लेवल: 11 [₹ 67,700 - 2,06,700]

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिसमें अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम - बेनीपुरा तहसील - पीलीभीत जिला - पीलीभीत (उत्तर प्रदेश)	कृषि भूमि 1.50 एकड़	स्वयं	क्रय	वर्ष 2001	₹ 4-5 लाख	₹ तीस लाख	₹ दो लाख
जिला - गोरखपुर तहसील - गोरखपुर (उ.प्र.)	फ्लैट - आवास (857 वर्ग फीट)	स्वयं	क्रय	वर्ष 2003	₹ 12 लाख	₹ साठ लाख	—
शहर - मेरठ जिला - मेरठ (उ.प्र.)	आवासीय भूमि (141.09 वर्ग मीटर)	स्वयं	क्रय	वर्ष 2020	₹ 34.14 लाख	₹ चौतीस लाख	—

स्थान: बेनीताल

दिनांक: 23/04/2022

हस्ताक्षर: [Signature]

अधिकारी का नाम: संजीव राठी

पदनाम: अभिशासी अभियन्ता

विभाग: निर्माण विभाग, लौ. नि. वि.
बेनीताल

2

अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का नाम- आदर्श गोपाल सिंह
3. वर्तमान धारित पद- अधिशासी अभियन्ता

2. संवर्ग- अभियांत्रिकी
4. वर्तमान वेतनमान- 67700-208700 (लेवल 11)

जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला-देहरादून	क्षेत्रफल - 3600 Sqft (334.44 Sqm) भूमि खसरा नं० - 29, मौजा आमवाला अपरला - देहरादून	श्री आदर्श गोपाल सिंह	उपहार (श्रीमती मुन्नी देवी माताजी के द्वारा उपहार के रूप में दी गयी है।)	7-12-2018	50,000/= (रु० पचास हजार) (भाग)	लागत रु० 20,00,000/= (लागत रु० बीस लाख भाग)	शून्य	उक्त वर्णित भूमि माताजी के द्वारा उपहार के रूप में दी गयी है। वर्तमान समय में केंद्र द्वारा कृपा प्राप्त कर भवन निर्माण का कार्य शुरुआत है।

स्थान- टनकपुर

दिनांक - 04/03/2022

हस्ताक्षर

04/03/2022
अधिकारी का नाम- आदर्श गोपाल सिंह
पद नाम- अधिशासी अभियन्ता
विभाग- पी०आई०यू०, लो०नि०वि०, तुलीगाड़।

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 11 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी का वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो पूर्व में घोषित सम्पत्ति जो ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई तो स्तम्भ में कुल क्रय अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2021 के लिये दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- श्री दिनेश प्रसाद आर्य
2. वर्तमान धारित पद - अधिशासी अभियन्ता

3. संवर्ग - ख
4. वर्तमान वेतनमान- ₹0 138500 एवं भत्ते

जिला तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम, न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बन्धक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹0 में)	वर्तमान अनुमानित लागत मूल्य (₹0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला - पिथौरागढ़ तहसील- पिथौरागढ़ ग्राम- पण्डा	भूमि 0.12 हे० आवासीय भवन 200 वर्ग मी०	दिनेश प्रसाद आर्य	भूमि क्रय की गयी है, श्री लक्ष्मण राम आर्य, श्री खुशाल राम, (पिथौरागढ़)	भूमि/वर्ष 2002 भवन/वर्ष 2006	2.47 लाख 8.00 लाख	18.00 लाख 25.00 लाख	50000.00	आवासीय भवन एल०आई०सी० से ऋण लेकर निर्मित किया गया है।
जिला - देहरादून इंजीनियर्स इनक्लेव फेज-2 मीजा कनवाली परगना सेन्ट्रल दून ग्राम- पण्डा	Flat 3 B.H.K. Appartment on the Third Floor Super Area 120.77 Sqm.	श्रीमती लक्ष्मी आर्य, पत्नी	क्रय, श्री असद फारुकी पुत्र श्री मोहम्मद अब्दुल फजल इनक्लेव, जामिया नगर, नई दिल्ली	07/04/2015	34.25 लाख	50.00 लाख	-	उक्त आवासीय फ्लैट ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स से ऋण लेकर खरीदा गया है।

स्थान- कीर्तिनगर
दिनांक - 05.03.2022

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम - दिनेश प्रसाद आर्य
विभाग- अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर, मुख्यालय-कीर्तिनगर

राज्याधीन सेवाओं के कर्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र
(वर्ष 2021 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा सुरेश कुमार
2. वर्तमान धारित पद अधिशासी अभिप्रेता

2. संवर्ग 'क' की
4. वर्तमान वेतनमान ₹ 67700-208700 (Level-11)

जिला तहसील और गांव या बहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवनों) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बन्धक/उत्तराधिकारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत ₹0 में	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय ₹0 में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ग्राम-कुहरी, तहसील-कालसा, देहरादून	1-99/920 न डमजला आवासीय भवन	पैक	उत्तराधिकार से	जन्म से	-	12,00,000	18500	इस सम्पत्ति से पैक का भाड़ा
2. ग्राम-चिलिपों, तहसील-विकासनगर, देहरादून	10/3 बीघा डमजला भवन	-do-	-do-	-do-	-	80,00,000	25,500	-do-
3. आशीवाडु इन्डस्ट्रियल एरिया-7-4	300 गज	अर्जातु स्वयं के नाम	अर्जातु/अर्पण	9/2019	48.00L	-	-	अर्जातु से 2019 में अर्जातु के नाम पर अर्जातु को अर्जातु अर्जातु से अर्जातु
4. आशीवाडु इन्डस्ट्रियल एरिया-7	Flate	अर्जातु स्वयं के नाम	अर्पण	9/2014	24.00L	58.00L	-	अर्जातु से अर्जातु से अर्जातु

4. आशीवाडु इन्डस्ट्रियल एरिया-7
स्थान-
दिनांक-

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम
पदनाम
विभाग
(SURESH KUMAR)
RE PD PWD Handw

टिप्पणी

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष- 31, दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31, जनवरी तक सम्पत्ति नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का आचरण प्रस्तुत की जाये, किन्तु अन्य श्रेणी के कर्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाये।
- प्रत्येक वर्ष /प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र में यदि उस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिक्व/कमि हुयी हो तो तदनुसार अधिक्व/कमि के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्धि सम्पत्ति अंकित की जाये और यदि कोई अधिक्व/कमि की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित की जाये।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 06 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो, तो स्तम्भ 02 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 06 में मूनि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाये।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर अश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से सम्पत्ति सम्पत्ति की जाये।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण -पत्र
वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार

2 संवर्ग क
4 वर्तमान वेतनमान 37700-208700 (लेवल-11)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थिति है	सम्पत्ति आवारास, भूमि एवं अन्य भवन का पूर्ण विवरण क्षेत्रफल सहित	सम्पत्ति के स्वामी का नाम यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक के सम्बन्ध	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम कय / लीज / बंधक / उत्तराधिकारी / उपहार / अन्य प्रकार तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों के विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत रू० में	वर्तमान अनुमानित मूल्य रू० में	सम्पत्ति से वार्षिक आय ' में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
रुद्रपुर	1285 वर्ग मी०	संजय कुमार पाण्डेय	बैंक ऋण	2011	14,50,000.00	20,00,000.00	75,000.00	-

स्थान- लो०नि०वि० कपकोट

दिनांक- 09.05.2022

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम संजय कुमार पाण्डेय
पदनाम अधिशासी अभियन्ता
विभाग नि०ख०, लो०नि०वि० कपकोट

- श्रेणी क एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत का भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जायेगी।

(वर्ष 20.21 के लिए दिनांक 01 जनवरी 20.22 की स्थिति अनुसार)

1- अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- श्री दीपक गुप्ता

2- संदर्भ- श्रेणी 'क' / ख 'क'

3- वर्तमान धारित पद- डायरेक्टर, इन्फ्रस्ट्रक्चर, एन.डी.ए.ए. (उत्तराखण्ड)

4- वर्तमान वेतनमान-

ग्रेड पे- 67700-208700

जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तरावधारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य लागत (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आम (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. जार्वन (देहरादून)	डावाग = 1500.00 sqft	दीपक गुप्ता एवं मनीषा गुप्ता	क्रय	11-6-11	24,50,000.00	-	-	Loan Amount = 18.00 lac
2. नरौली गोगान (देहरादून)	= 334 sqm	श्रीमती शकुन्ता देवी श्रीमती मनीषा गुप्ता	क्रय	23-10-18	24,60,000.00	-	-	Loan Amount = 12.00 lac
3. कला गोगान (देहरादून)	= 150 sqm	श्रीमती शकुन्ता देवी श्रीमती मनीषा गुप्ता	क्रय/प्राप्त 5/1/21 को 150 sqm	5-1-21	13,80,000.00	-	-	5/1/21 को 13,00,000.00 Loan की रकम 23/10/18 की रकम की अर्जा की वैधानिक 3500000 31/12 2018 पर 9.5 की अर्जा
			पूर्व में क्रय की गयी सम्पत्ति (उपरोक्त 2) की रकम नकारना 19.5 की अर्जा की जा रहा है 2 150 sqm रकम 9.5 की अर्जा				13.00 lac	

स्थान- Nainital
दिनांक-

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम- Deepak Gupta
पद नाम- डायरेक्टर, इन्फ्रस्ट्रक्चर
विभाग- एन.डी.ए.ए. उत्तराखण्ड

टिप्पणी-

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारियों को अपरथ प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के अन्तराल पर।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व में घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम अर्जित सम्पत्ति सर्गिलित की जाय।

अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र


वर्ष 2021 के लिये दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- भुपन चन्द्र पन्त, प्रांतीय अभियन्ता सेवा
3. वर्तमान धारित पद- अधिशासी अभियन्ता

2. सर्वग- तकनीकी
4. वर्तमान वेतनमान-67700-208700

जिला, तहसील और गांव या शहर जिल्लमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बचक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) का उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹0 में)	अन्युक्ति
टाटिक, अल्मोडा कारायल, जौलासाल, हल्द्वानी, नैनीताल	2.50 एकड़ भूमि + 418.21 Sqm भूमि + आवास	माईयों की पैतृक/संयुक्त स्वयं	उत्तराधिकार श्री वेदप्रकारा गुप्ता से भूमि कय एवं एस0डी0आई0 से ऋण लेकर आवास निर्मित	2005/2008	15.15 लाख	Not Known	---	---
उदय लाल पुर, हल्द्वानी, नैनीताल	252 Sqm भूमि	श्रीमती अंजना पन्त (पत्नी)	कय श्रीमती आदेश अग्रवाल से	2011	4.04 लाख	Not Known	---	---
मुनेठी, चम्पावत	0.06 Hect	स्वयं	उपहार श्री शंखर चन्द्र पुनेठा जी से	2016	---	Not Known	---	---
मनोधा, देहरादून	आवासीय (फ्लैट)	स्वयं एवं श्रीमती अंजना पन्त (पत्नी) के नाम संयुक्त	एस0डी0एफ0सी0 बैंक से ऋण लेकर कय	2021	49.00 लाख	Not Known	100800.00	किराये के रूप में

स्थान-देहरादून
दिनांक - 30.01.2022

हस्ताक्षर 
अधिकारी का नाम- (बी0सी0पन्त)
पदनाम- अधिशासी अभियन्ता
विभाग- प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय, लो0नि0यि0, देहरादून (सम्बद्ध-टी0ए0सी0, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।

टिप्पणी:

1. क्षेत्र 'क' एवं 'ख' के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कैलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति / नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाये, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाये।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाये और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाये।
3. यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 8 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाये और यदि भूखण्ड कय कर उस भवन का निर्माण स्वयं किया गया है तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए स्तम्भ 8 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाये।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाये।

शु रावत
25/01/2022

or

✓
 जेठाने, माहेच्याच माहितीवर

काही प्रमाणित आहे

माहितीवर प्रमाणित आहे

सुद्धा प्रमाणित आहे

देखील

टीप :- माहितीवर प्रमाणित आहे प्रमाणित आहे

माहितीवर

माहितीवर प्रमाणित आहे प्रमाणित आहे 01.08.2022 प्रमाणित आहे

R.F.L

24.8.2022

(प्रमाणित आहे)

माहितीवर प्रमाणित आहे

माहितीवर प्रमाणित आहे

देखील

SDO (K)

25/8/2022

(हो विनी सिंह)

21/8/2022

25/8/2022

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2021 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा राजेश कुमार सिंह, आंध्रप्रदेश पुलिस
वर्तमान धारित पद आंध्रप्रदेश पुलिस

2. संवर्ग आंध्र प्रदेश पुलिस
4. वर्तमान वेतनमान 93,800/-

1. तहसील और गांव या शहर तमसे सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बैंक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	9. अभ्युक्ति
पुल्ले, बामनपुर	3.00 हेक्टेयर	पुल्ले लोड अर्जित	पैतृक	पैतृक	पैतृक	48.00 लाख	1,00,000/-	—
कांकेट	2.50 हेक्टेयर	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	72.00 लाख	3,00,000/-	—
कांकेट	0.36 हेक्टेयर	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	4.00 लाख	—	—
कांकेट	प्लॉट	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	30.00 लाख	2.50 लाख	—
कांकेट	प्लॉट	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	40.00 लाख	—	—
कांकेट	प्लॉट	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	30.00 लाख	—	—
कांकेट	प्लॉट	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	7.00 लाख	0.60 लाख	—
कांकेट	प्लॉट	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	पुल्ले लोड अर्जित	44,00,000/-	44,00,000/-	—

स्थान- देहरादून

दिनांक- 01.01.2022

हस्ताक्षर राजेश कुमार सिंह

अधिकारी का नाम राजेश कुमार सिंह

पदनाम आंध्र प्रदेश पुलिस

वर्तमान तैनाती स्थान देहरादून

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिव्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिव्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिव्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

वर्ष 2022 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार

2. संदर्भ UTTAR PRADESH STATE ENGINEERING SERVICES
4. वर्तमान पेंशन/मान BASIC PAY 105600.00

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा ASHUTOSH KUMAR
3. वर्तमान धारित पद EXECUTIVE ENGINEER

जिला, तहसील और गांव का शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बँकल/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SECTOR -4, VAISHALI, GHAZIABAD, UP	FLAT No S-2, SECOND FLOOR, HIGH TYPE, PLOT No 4/1288, AREA 7617 Sq. m type 1	ASHUTOSH KUMAR	PURCHASE FROM Mrs. INDRA VERMA	13-04-2011	63,75,000.00	63,75,000.00		POUCHASE THROUGH HOME LOAN Rs. 64,00,000.00

स्थान ALMORA
दिनांक 06-01-2022

हस्ताक्षर Ashutosh Kumar
अधिकारी का नाम ASHUTOSH KUMAR
पदनाम EXECUTIVE ENGINEER
विभाग PWD UTTAR PRADESH

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिए अपने वर्ष को 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/निर्वाहक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आविष्कार/कमी हुई हो तो तदनुसार आविष्कार/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आविष्कार/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्माता आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कच की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कच मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूल्य कच कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूल्य कच को मूल्य-मूयक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी मूल्य-मूयक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्यधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र
(वर्ष 2021 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति अनुसार)

अधिकारी का नाम एवं सेवा :- कुन्दन सिंह

वर्तमान धारित पद :- सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत

2. संदर्भ :- तकनीकी

4. वर्तमान वेतनमान :- 56100 - 177500 (लेवल-10)

जिला, तहसील और नांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी संवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला- उधनसिंह नगर, तहसील- काशीपुर, गांव- खोखराताल	भूमि 283.46 वर्ग मी0	स्वयं	स्वयं द्वारा अर्जित	2010		8.00 लाख	शून्य	आवास बनाने हेतु ली गई है।

स्थान- रानीखेत
दिनांक- 7 मार्च 2022

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम- कुन्दन सिंह

पद नाम- सहायक अभियन्ता

दिनांक- प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत (अल्मोड़ा)